पाँच साल बाद शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा

- नाथूला से कैलाश मानसरोवर यात्रा का भव्य पुन: आरंभ
- 33 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ
- राज्यपाल ने नाथूला से दिखाई हरी झंडी

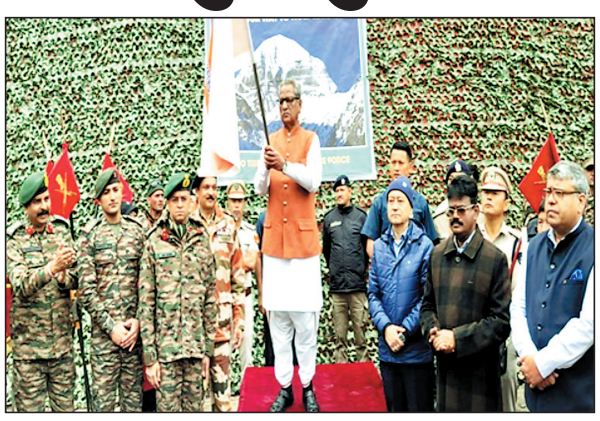

नथुला (सिक्किम), 20 जून.पाँच वर्षों के लंबे अंतराल के बाद, सिक्किम के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर आरंभ हो गई है. गुरुवार को राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने नाथूला दर्रे से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस पहले जत्थे में 33 तीर्थयात्री, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के 2 नोडल अधिकारी और 1 चिकित्सक शामिल हैं, जिससे कुल संख्या 36 हो गई है.यह बहुप्रतीक्षित यात्रा भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक मानी जा रही है.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल माथुर ने कहा, यह सिक्किम राज्य के लिए गौरव की बात है कि यह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा यहाँ की पवित्र भूमि से होकर गुजर रही है. उन्होंने इस यात्रा के पुन: आरंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और इसे विरासत की बहाली एवं अंतरराष्ट्रीय सौहार्द्र का प्रतीक बताया.

राज्यपाल ने सिक्किम सरकार, भारतीय सेना, और ढ्ढञ्जक्क के प्रयासों की भी सराहना की, जिन्होंने इस यात्रा को फिर से संभव बनाया. उन्होंने प्रस्थान से पहले तीर्थयात्रियों से संवाद किया और उन्हें सुरक्षित व सफल यात्रा की शुभकामनाएं दीं.

सिक्किम के पर्यटन मंत्री शेरिंग थेनडुप भूटिया ने इस अवसर पर कहा, पाँच साल बाद इतिहास बन रहा है. पूरे भारत से श्रद्धालु यहाँ आकर यात्रा आरंभ कर रहे हैं. कोविड-19 के कारण यात्रा कई वर्षों तक स्थगित रही थी, लेकिन आज पहला जत्था रवाना हो चुका है और दूसरा तैयार है. उन्होंने कहा कि यह यात्रा नाथूला दर्रे और सिक्किम पर्यटन को भी वैश्विक मानचित्र पर नई पहचान देगी.

तीर्थयात्रियों ने कठिन चिकित्सा परीक्षण और दो-चरणीय ऊँचाई अनुकूलन प्रक्रिया पूरी की, जिसमें पहला चरण 18वें मील, और दूसरा शेराथांग में संपन्न हुआ. ये उपाय तीर्थयात्रियों को 14,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित कठिन हिमालयी परिस्थितियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए अनिवार्य थे.

भारतीय सेना के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि सभी तीर्थयात्री स्वास्थ्य परीक्षण में फिट पाए गए हैं और यात्रा के लिए पूर्णत: तैयार हैं.

तीर्थयात्रियों में शामिल शालंदा शर्मा ने कहा, यह यात्रा भारत और चीन के बीच आपसी समझौते के तहत पाँच साल बाद फिर शुरू हो रही है. सरकार और सुरक्षा बलों द्वारा की गई व्यवस्थाएं अत्यंत सराहनीय हैं. उन्होंने कहा कि वे कैलाश मानसरोवर से भारत के लिए आशीर्वाद लेकर लौटने को लेकर बेहद उत्साहित हैं.

एक अन्य यात्री इंदर शर्मा ने सिक्किम पर्यटन विकास निगम (स्ञ्जष्ठ्ठ) द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि चिकित्सा से लेकर लॉजिस्टिक्स तक, सब कुछ कुशलता से संभाला गया है. हम उम्मीद करते हैं कि यह यात्रा भारत-चीन संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएगी.

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, समूह को सुबह 9ः15 बजे तक नाथूला सीमा पार कर चीनी क्षेत्र में प्रवेश करना था, जहां आव्रजन औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी. इसके बाद तीर्थयात्री माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की ओर अपनी यात्रा जारी रखेंगे.

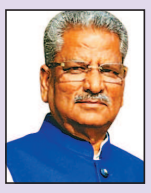

यह सिक्किम राज्य के लिए गर्व का क्षण है कि यह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा यहाँ की पवित्र भूमि से होकर आगे बढ़ रही है. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस विरासत को पुनर्जीवित किया, जो अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का प्रतीक है.

राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर

रेखा गुप्ता ने 'आप' नेताओं पर साधा निशाना

नयी दिल्ली, 20 जून (वार्ता) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो किया उन्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा. श्रीमती गुप्ता ने 'आप' नेता मनीष सिसोदिया को क्लासरूम घोटाला मामले में दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा पूछताछ के लिए बुलाये जाने पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा.उन्होंने कहा,जल्द ही इन सभी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा. अभी तो अरविंद केजरीवाल को भी पंजाब से दिल्ली लौटना पड़ेगा.उन्होंने 'आप'नेताओं को भगोड़ा करार देते हुए कहा, दिल्ली की जनता को ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है. जो कर्म किया है उसे भुगतना पड़ेगा.

ट्रंप का ईरान पर फैसला जल्द

राजनयिक समाधान पर बातचीत जारी

वाशिंगटन, 20जून. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले दो सप्ताह में ईरान पर हमला करने का आदेश देंगे या नहीं, इस पर फैसला करेंगे.

लेविट ने गुरुवार को ट्रंप की ओर से एक बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने इस अटकलों का जवाब दिया कि क्या अमेरिका सीधे ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष में शामिल होगा.लेविट ने कहा, अगर ईरान के साथ कोई राजनयिक समझौता होता है, तो ईरान को यूरेनियम संवर्धन पर सहमत होना होगा और उसे परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं होगी. लेविट ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है. सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि 13 जून को इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद से अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कई बार फोन पर बात की है ताकि इस संकट का राजनयिक समाधान निकाला जा सके.स्थानीय मीडिया ने तीन राजनयिकों (नाम न बताने की शर्त पर) के हवाले से बताया कि इस बातचीत में अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें ईरान के बाहर एक क्षेत्रीय समूह द्वारा यूरेनियम संवर्धन की बात थी लेकिन ईरान ने इसे ठुकरा दिया है. अमेरिका इजराइल पर युद्ध खत्म करने का दबाव डाले, तो तेहरान परमाणु मुद्दे पर विचार कर सकता है ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से कहा कि अगर अमेरिका इजराइल पर युद्ध खत्म करने का दबाव डाले, तो तेहरान परमाणु मुद्दे पर विचार कर सकता है.

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति नीमच, जिला- नीमच (म.प्र.)

कमांक/मण्डी/निर्माण-स्टोर/2025-26/349 नीमच, दिनांक-19/06/2025

निविदा सूचना

सर्व सम्बंधितों को सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति नीमच के मुख्य मण्डी प्रांगण में पूरानी / क्षतिग्रस्त / अनुपयोगी जी.आई. चद्दरें यथास्थिति में विक्रय हेतु सिस्टम निविदा क्रमांक **2025_MPSAM_431993_1** के अन्तर्गत ऑनलाइन निविदायें **दिनांक 05.07.2025** समय सायं 5.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो इच्छुक व्यक्ति/फर्म केन्द्रीय पंजीयन प्रणाली के पोर्टल की वेबसाईट **http//www.mptenders.gov.in/nicgep/app** में पंजीकृत हो इस निविदा में प्रतिकिलो ग्राम की निविदा दरें प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल **http//www.mptenders.gov.in/nicgep/app** पर प्राप्त होगी।

नोट:- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबधित किसी भी प्रकार के संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर ही प्रदर्शित किया जावेगा।

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति, नीमच

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति , नीमच

ई-नीलामी सूचना

ऋण वूसली अधिकरण
भारत सरकार वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेंवाये विभाग (बैंकिग प्रभाग)
द्वितीय एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन (बीएसएनएल बिल्डिंग), रेजीडेंसी रोड, हेड पोस्ट ऑफिस के पास, साउथ सिविल लाइन, जबलपुर-(म.प्र.) 482001
Case No.: RC/71/2020 / ओ.ए. नं. 279/2019
ई-नीलामी क्र. 167/2025

CENTRAL BANK OF INDIA वि. **M/S PANKAJ AGRO** एवं अन्य में पारित वसूली प्रमाण पत्र क्रमांक **RC/No. 71/2020/O.A. No. 279/2019** में जारी राशि की वसूली हेतु प्रमाण पत्र **Rs. 1,27,80,119.00 (Rupees One Crore Twenty Seven Lakh Eighty Thousand One Hundred Nineteen only)** तथा उस पर **10.50 प्रतिशत** प्रतिवर्ष की दर से **दिनांक 20.02.2019** से ब्याज एवं वसूली हेतु निम्नलिखित संपत्ति ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया के तहत वेबसाईट **https://www.bankeauctions.com** के माध्यम से की जायेगी।

ई-नीलामी की तिथि एवं समय:- 06.08.2025 दोपहर 12.00 से 01.00

संपत्ति की अनुसूची

Commercial Diverted Land bearing Khasra No. 311/4, Old Patwari Halka No. 87, New Patwari Halka No. 40, situated at Village- Rehmapur, Vikaskhand- Chehgaon, Makhan, Tehsil and District- Khandwa (MP); land area admeasuring 1.46 Hectare, Property belonging to Pradeep Kimar Agrawal S/o Hajarilal Agrawal.

प्रारक्षित मूल्य रुपये Rs.75,00,000.00 (Rupees Seventy Five Lakh Only)

विक्रय की शर्ते:

(1) इच्छुक निविदाकर्ता वैध डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र धारक होना चाहिए। अधिक विवरण हेतु **M/s C-1 India Pvt. Ltd., Website: https://www.bankeauctions.com, Helpline No. 0124-4302020/21/22/23/24, for help a bidder in e-auction contact to Mr. Mithalesh Kumar on Mob. No. 7080804466, E-mail id: mpcg@c1india.com, E-mail id: support@bankeauctions.com** पर संपर्क करें।
(2) इच्छुक निविदाकर्ता को सूचित किया जाता है कि निविदा जमा करने के पूर्व वेब साईट **https://www.bankeauctions.com** पर उपलब्ध नीलामी बिड प्रपत्र तथा विस्तृत नियमों व शर्तो का अवलोकन कर लें।
(3) बिड केवल ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर पहचान पत्र की प्रति साथ सलग्न कर जमा करनी होगी (विस्तृत नियम व शर्तो का संदर्भ ले।)
(4) अग्रिम जमा धरोहर राशि (ईएमडी) हेतु प्रारक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि जो **Rs. 7,50,000.00 (Rupees Seven Lakh Fifty Thousand Only)** है RTGS/NEFT/Money Transfer द्वारा वसूली अधिकारी ई-नीलामी खाता ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर के नाम से धारित **Account No. 20020210000380** in the name of Recovery Officer, E-auction account, DRT Jabalpur with **UCO BANK, NAVYAU COLLEGE BRANCH, JABALPUR. (IFSC Code: UCBA0002002)** में आवश्यक रूप से जमा करनी होगी तथा उक्त राशि का प्रेषण बिड प्रपत्र में सुस्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा।
(5) निविदा ऑनलाईन माध्यम से दिनांक 04.08.2025 अथवा इसके पूर्व 17-00 बजे तक जमा करनी होगी।
(6) ऑनलाईन माध्यम से जमा बिड प्रपत्र तथा अनुलग्नकों की प्रति वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, 797- द्वितीय मंजिल, शांतिकुन्ज सिविल लाईन जबलपुर को प्रेषित करनी होगी तथा शीघ्र अति शिघ्र भेजने के लिए सर्विस प्रोवाईडर को सूचित किया जाता है कि और, वह, सभी नीलामी के खरीददारों की सूची एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध करावें।
(7) ऑनलाईन नीलामी बोली प्राप्त बिड में से अधिकतम बोली से प्रारंभ होगी तथा प्रत्येक बिड वृद्धि राशि न्यूनतम **Rs. 80,000/- (Rupees Eighty Thousand only)** होगी। ऑनलाईन बिड में समय समाप्त के पूर्व बिड डालने पर सिस्टम द्वारा अपने आप 5 मिनिट का समय बढ़ता रहेगा।
(8) असफल बोलीकर्ताओं की अग्रिम धरोहर राशि (ईएमडी) वसूली अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर द्वारा उसी खाते में वापिस की जायेगी जिससे की उसका भुगतान हुआ है तथा इस संबंध में कोई भी पूछताछ स्वीकार्य नही होगी। इच्छुक निविदाकर्ता द्वारा अग्रिम धरोहर राशि (ईएमडी) जमा किया जाने के पश्चात व जब तक असफल बोलीकर्ता घोषित नही किये जाते तब तक ईएमडी राशि वापस नही ले सकते अन्यथा राशि जब्त कर ली जायेगी।
(9) सफल बोलीकर्ता को विक्रय उसके पक्ष में घोषित किये जाने की स्थिति में 25 प्रतिशत बोली राशि (ईएमडी राशि को समोयोजित करते हुए) अगले दिन के RTGS/NEFT/MONEY TRANSFER द्वारा कंडिका -4 में उल्लेखित खाते में जमा करनी होगी।
(10) सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं विक्रय मूल्य का 1 प्रतिशत पोन्डेज शुल्क तथा रु. 10 (प्रति संपत्ति अलग-अलग) सहित नीलामी के 15 दिनों के अन्दर या यदि 15 वा दिन रविवार अथवा अन्य अवकाश हो तो, 15वें दिन पश्चात् प्रथम कार्यालयीन दिवस को उपरोक्त उल्लेखित क्रमांक 4 में दर्शित खाते में समयावधि में भुगतान करना होगा। भुगतान में चूक करने पर संपत्ति की नई विक्रय उद्घोषणा जारी करने के पश्चात् पुन: विक्रय की जायेगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त राशि शासन के पक्ष में जप्त कर ली जायेगी तथा तत्पश्चात् विक्रय होने वाली संपत्ति अथवा राशि के किसी अंश पर चूककर्ता बोलीकर्ता के समस्त दावे समपहृत होंगे।
(11) संपत्ति **''जहां है जैसी है तथा बिना किसी शिकायत''** के आधार पर विक्रय की जायेगी।
(12) संपत्ति का निरीक्षण **दिनांक 23.07.2025 को प्रात: 12 बजे से 16 बजे** तक किया जा सकेगा।
(13) सपंत्ति प्रारक्षित मूल्य से कम मूल्य पर विक्रय नहीं की जायेगी।
(14) वसूली अधिकारी को किसी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का या बिना कोई कारण बताये नीलामी को आगे बढ़ाने या स्थगित करने का निर्बाध अधिकार होगा।
(15) इच्छुक निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे **Shri Deepraj Sahu, Chief Manager, Mobile No. 83700 12036** में उपलब्ध संपत्ति के स्वत्वाधिकार विलेख का निरीक्षण कर ले तथा संपत्ति की पहचान एवं विवरणी सही होने तथा प्रभारों आदि की पड़ताल कर लें। इस संबंध में वसूली अधिकारी किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। संपत्ति का विवरण बैंक द्वारा प्रदत्त दस्तावेज पर आधारित है।
(16) ई-नीलामी के संबंध में विवरण **M/s C-1 India Pvt. Ltd., Website: https://www.bankeauctions.com, Helpline No. 0124-4302020/21/22/23/24 for help a bidder in e-auction contact to Mr. Mithalesh Kumar on Mob. No. 7080804466, E-mail id: mpcg@c1india.com, or 8319822113, E-mail id: support@bankeauctions.com** पर संपर्क करें।
(17) संपत्ति से संबंधित अधिक जानकारी **Shri Deepraj Sahu, Chief Manager, Mobile No. 83700 12036** से प्राप्त की जा सकती है।
(18) इच्छुक निविदाकर्ता ई-नीलामी प्रक्रिया में अपने स्वयं के कार्यालय/स्वेच्छा के स्थान से बोली हेतु सम्मिलित हो सकते है। प्रत्येक निविदाकर्ता द्वारा इंटरनेट कनेक्टीविटी स्वत सुनिश्चित करनी होगी। डी आर टी/बैंक/सेवा प्रदाता किसी भी प्रकार से इंटरनेट कनेक्टीविटी नेटवर्क समस्या, तंत्र विक्षेप, विद्युत व्यवधान आदि के लिए जिम्मेदार नही होगा।

स्थान: जबलपुर, दिनांक: 13.06.2025
SEAL
(प्रीती देसाई)
वसूली अधिकारी

नाम परिवर्तन सूचना

मेरा नाम **मनीष पोरवाल S/o सत्यनारायण पोरवाल** है। परन्तु पासपोर्ट में मेरा नाम **मनीषा पोरवाल S/o सत्यनारायण पोरवाल** कर दिया गया है। मुझे मेरे सही नाम **मनीष पोरवाल S/o सत्यनारायण पोरवाल** के नाम से जाना व पहचान जावे।

पता:- मनीष पिता सत्यनारायण पोरवाल
36 अभिनंदन विस्तार कॉलोनी, मंदसौर-458 001

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां नवभारत के माध्यम से

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
TATA
पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल मुंबई - 400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552. Contact No. (022) 61827414, (022) 61827375
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सुरज भवन, दूसरी मंजिल, यस बैंक के उपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर -452001.

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिये)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के परिशिष्ठ IV सपठित नियम 8(1) के अंतर्गत)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा13 (12) सपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न ऋणी(यों) से नीचे उल्लेखित सूचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अंदर ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी।
चूंकि ऋणी(यों) ने अदायगी में त्रुटि की है अत: ऋणी(यों) तथा सर्वसाधारण जनता को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है।
ऋणी(यों) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इन सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के ऋणी(यों) के समक्ष नीचे दर्शाई गई मांग सूचना दिनांक से ब्याज एवं दण्ड ब्याज, खर्चे, लागत अन्य के अधीन होगा।
ऋणकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्रं.	ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों /कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	मांग सूचना अनुसार राशि	मांग सूचना दिनांक कब्जा दिनांक	कब्जे का प्रकार
1	TCHHL028400 0100325473 & TCHIN0284000 100327736 & TCHHF028400 0100335859	श्री योगेश केशव भोई (ऋणी) श्रीमती कीर्ति भोई (सह-ऋणी)	₹ 41,321/- एवं ₹ 4,54,979/- एवं ₹ 11,42,847/-	08-04-2025 / 17-06-2025	सांकेतिक कब्जा

सुरक्षित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण: आवासीय संपत्ति स्कीम नंबर 114- प्रथम में प्लॉट नंबर 1329 पर निर्मित, तृप्ति आर्केड, फ्लैट नंबर जी-3, ग्राउंड फ्लोर, इंदौर मध्य प्रदेश स्थित संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग,
सुपर बिल्टअप एरिया 590 वर्ग फीट, **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व: फ्लैट नंबर जी-2, पश्चिम: प्लॉट नंबर 1328, स्कीम नंबर 114 प्रथम, उत्तर: प्लॉट नंबर 1360, स्कीम नंबर 114 प्रथम, दक्षिण: कॉमन पैसेज और सीढ़ियां

2	9707113 & 9707974 & TCHIN0284000 100085343	श्री भारत ठाकुर (ऋणी) श्री शिवकुमार ठाकुर (सह-ऋणी)	₹ 28,44,306/- एवं ₹ 1,06,241/- एवं ₹ 1,74,109/-	11-04-2025 / 17-06-2025	सांकेतिक कब्जा

सुरक्षित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण: शिवधाम कॉलोनी, ग्राम लिंबोदी तहसील और जिला इंदौर स्थित अचल संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश जो सेक्टर-ए के प्लॉट क्रमांक 22 पर निर्मित 'गुरु संपदा अपार्टमेंट' नामक इमारत में भूतल पर फ्लैट क्रमांक जी-1, क्षेत्रफल 950 वर्ग फीट यानि 88.28 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र (सुपर निर्मित क्षेत्र 1300 वर्ग फीट यानि 120.81 वर्ग मीटर), **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व में: कॉलोनी रोड; पश्चिम में: फ्लैट क्रमांक जी-3, उत्तर में: कॉलोनी गार्डन, दक्षिण में: कॉमन पार्किंग

दिनांक : 17.06.2025
स्थान : इन्दौर (म.प्र.)
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
वास्ते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

इंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD
इंडियन बैंक, देवास शाखा
91, मोती बंगलो, देवास (म.प्र.)

आधिपत्य सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम-8(1) के अंतर्गत

जबकि अधो-हस्ताक्षरकर्ता ने **इंडियन बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 का सपठित नियम 8 एवं 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणी/जमानतदार **मेसर्स लाभांशी एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड (ऋणी), पता:** 47-बी, 48-ए, 48-बी-54-बी -1, एबी रोड इंडस्ट्रीयल एरिया नं. 1, देवास-455001, **पंजीकृत कार्यालय:** 410, अपोलो टॉवर, 2 एम.जी. रोड, इन्दौर-म.प्र.को हमारी **देवास शखा** से मांगनी करते हुए मांग सूचना पत्र **दिनांक 31.03.2025** उक्त सूचना पत्र की दिनांक से **60 दिवस** के भीतर सूचना पत्र में उल्लेखित राशि **रु.35,28,53,356/- (रुपये पैंतीस करोड़ अट्ठाईस लाख तिरेपन हजार तीन सौ छप्पन मात्र)** को लौटाने के लिए निर्गमित किया।

ऋणी के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी एवं सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 व 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति को **आधिपत्य दिनांक 20 जून 2025** को ग्रहण कर लिया है।

ऋणी को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई संव्यवहार न करें तथा यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **रु.35,28,53,356/- (रुपये पैंतीस करोड़ अट्ठाईस लाख तिरेपन हजार तीन सौ छप्पन मात्र)** एवं उस पर ब्याज के लिए इंडियन बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

''हम सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो प्रतिभूतियों पर आपके ऋणमुक्ति के अधिकारों से संबंधित हैं''।

अचल /चल सम्पत्ति का विवरण

(1) संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण प्लॉट नं. 47-बी, 48-ए, 48-बी-54-बी -1, इंडस्ट्रीयल एरिया नं. 1, एबी रोड देवास, **चर्तु:सीमा:** पूर्व: प्लॉट नं. 55बी, 54बी, 53, पश्चिम: प्लॉट नं. 47ए एवं रोड, उत्तर: प्लॉट नं. 48सी एवं रोड, दक्षिण: प्लॉट नं. 55ए, 55बी, एवं 56,
लीज की इंडस्ट्रीयल भूमि का क्षेत्रफल 9670.50 वर्गमीटर,
संपत्ति मालिक: मेसर्स लाभांशी एग्रीटेक प्रा.लि.
(2) संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग प्लॉट नं. 53ए एवं 54सी, इंडस्ट्रीयल एरिया नं. 1, देवास एवं प्लांट **संपत्ति की चर्तु:सीमा:** पूर्व: प्लॉट नं. 53 एवं 24 मीटर चौंडा रोड, पश्चिम: प्लॉट नं. 54बी, उत्तर: प्लॉट नं. 48 एवं 49 दक्षिण: प्लॉट नं. 54बी एवं 24 मीटर चौंडा रोड,
लीज की इंडस्ट्रीयल भूमि क्षेत्रफल 2970 वर्गमीटर,
संपत्ति मालिक: मेसर्स लाभांशी एग्रीटेक प्रा.लि.

स्थान : देवास
दिनांक : 20-06-2025
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन बैंक

परिशिष्ठ IV (नियम 8(1)) आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN: U67100MH2007PLC174759
रिटेल केन्द्रीय एवं पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुम्बई 400098

जबकि यहाँ उल्लिखित सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियम 3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे यथा उल्लखित मांग सूचना जारी की थी जिमसें कर्जदार(ओं) से सूचना में उल्लिखित राशि उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने के लिए कहा।
इसके बाद, असाईनर संदर्भित ने अधोल्लिखित वित्तीय परिसंपत्तियाँ **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** को स्वयं/अपनी **उल्लेखित विभिन्न ट्रस्ट के ट्रस्टी** की क्षमता से कार्यरत (यहाँ आगे **"ईएआरसी"** कहा गया है) असाइनमेंट एग्रीमेंट के अनुसार सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत एसाइन कर दीं। ईएआरसी असाईनर की भूमिका में आ गया और वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में विचाराधीन प्रतिभूति हितों, गारंटी, रेहनों सहित असाईनर के सभी अधिकार, हक और हित कर्जदार द्वारा ली गई वित्तीय सहायता के संबंध में **ईएआरसी** को निहित हो गए हैं और **ईएआरसी** प्रत्याभूत लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकार प्रयोग करता है।
कर्जदार द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी की क्षमता से अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** प्रत्येक संपत्ति के समक्ष उल्लेखित दिनांक को ले लिया है।
उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधो की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप में सर्वजन को संपत्ति से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन-देन नीचे उल्लिखित राशि और इस पर ब्याज के लिए **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

समनुदेशक का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता नंबर	उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम	मांग सूचना की राशि एवं सूचना दिनांक	कब्जे की तारीख	कब्जे की स्थिति
एचडीबी फायनेंसियल सर्विसेस लिमिटेड	EARC TRUST SC-449	5379754	1. **मेसर्स शिवशंकर किराना** (ऋणी), 2. **हरीश सितलानी** (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता), 3. **रिया सितलानी** (सह-ऋणी)	**Rs. 55,90,468.40** (रुपये पचपन लाख नब्बे हजार चार सौ अड़सठ रुपये एवं चालीस पैसे मात्र) & 31/03/2023	19-06-2025	भौतिक आधिपत्य

अचल संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति प्लॉट नं. 58-ए, गोपाल बाग कॉलोनी, इन्दौर स्थित गोकुल विहार की तीसरी मंजिल का फ्लैट नं. 302 का संपूर्ण एवं शेष भाग, सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल 850.00 वर्गफीट, **चर्तु:सीमा:** पूर्व: प्लॉट नं. 58, पश्चिम: फ्लैट नं. 301, उत्तर: रोड, दक्षिण: कॉमन पैसेज एवं फ्लैट नं. 303 एवं 304

एचडीबी फायनेंसियल सर्विसेस लिमिटेड	EARC TRUST SC-410	109650	1. **प्रशांत कुमार** (ऋणी), 2. **सौम्या स्नेहिल** (सह-ऋणी)	**Rs. 32,39,428.77** (रुपये बत्तीस लाख उन्चालीस हजार चार सौ अट्ठाईस एवं सतत्तर पैसे मात्र) & 18/02/2022	19-06-2025	भौतिक आधिपत्य

अचल संपत्ति का विवरण: एमओजी लाईन्स मैन रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश-452001 स्थित श्रीनाथ टॉवर के बी ब्लॉक का फ्लैट नं. 22,23 एव 24, मेजेनाइन फ्लोर की संपत्ति, क्षेत्रफल 900 वर्गफीट या 83.64 वर्गमीटर , **चर्तु:सीमा** पूर्व: रोड, पश्चिम: फ्लैट नं. 30, 31,32, उत्तर: खुला प्लॉट, दक्षिण: फ्लैट नं. 21

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 20.06.2025
प्राधिकृत अधिकारी
एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
Edelweiss Asset Reconstruction

ई-नीलामी सूचना

ऋण वूसली अधिकरण
भारत सरकार वित्त मंत्रालय
**वित्तीय से